महाराष्ट्र सरकार

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत,

१०वी मंझिल, मुंबई-४०० ००१

क्रमांकः कोरोना-२०२१ /प्र.क्र.३६६/आ-५,

दिनांक २६ अक्तुबर २०२१

संदर्भः

१) साथरोग अधिनियम, १८५७

२) आपत्ती निवारण कानुन, २००५

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन समक्रमांक दिनांक ११ अगस्त, २०२१ का आदेश

सरकार का आदेश

ब्रेक द चेन - राज्य की सभी सरकारी /निमसरकार तथा नीजी औद्योगिक आस्थापनाओं में मास्क का प्रयोग अनिवार्य करना तथा कोविड प्रतिबंधक टिकाकरण जल्द पूरा करने के विषय में

जैसे की, राज्य में साथरोग अधिनियम, १८५७ तथा आपत्ती निवारण कानुन, २००५ लागू किया है।

जैसे की, मरिजों की संख्या कम होने के कारण अर्थचक्र को गती देने हेतू कोविड-१९ के प्रकोप के कारण लगाए गये लॉकडाऊन के समय लागू किए प्रतिबंधात्मक उपायों को कम किया जा रहा है। इसलिये, भीड व्यवस्थापन, शारीरिक दुरी बनाए रखना, तथा मास्क का प्रयोग करने में जनता में ढिला पन तथा बेफिकिरी होने के कारन, राज्य को कोविड-१९ की तीव्र लहर का सामना करना पडा था।

जैसे की, कोविड-१९ की बाधा की लहर फिर आने की संभावना को टालने हेतू अब सक्षम प्राधिकारी, तथा अध्यक्ष, राज्य व्यवस्थापन समिती इने दिए हुए अधिकारों के अनुसार निम्न आदेश पारित किये गये हैं।

१) राज्य के मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/विधान भवन के साथ सभी सरकारी /अर्ध सरकारी कार्यालय तथा नीजी आस्थापनांओं में काम करनेवाले अधिकारी /कर्मचारी तथा कार्यालय मे काम के हेतू आनेवाले सभी लोगों को कार्यालय तथा कार्यालय के क्षेत्र में नाक तथा मुँह पुरी तरह से ढकनेवाला मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है ।

२) राज्य के मंत्रालय/अर्ध सरकारी कार्यालय तथा नीजी आस्थापनांओं में काम करनेवाले अधिकारी /कर्मचारीओं के टिकाकरण के दोनो मात्राओं को पुरा किया है यह संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख /आस्थापना प्रमुख ने सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है तथा उनके कोविड टिकाकरण की आपूर्ती का प्रमाणपत्र संबंधी अधिकारी /कर्मचारीसे प्राप्त करना आवश्यक है । अग कोई कर्मचारी को टिकाकरण की कोई समस्या हो तो ऐसे कर्मचारी गणों के लिए पास के टिकाकरण केंद्र तथा सार्वजनिक आरोग्य विभाग से संपर्क करके कार्यालयीन अधिकारी /कर्मचारीओं के लिये टिकाकरण का विशेष सत्र का आयोजन करना आवश्यक है, जिससे अधिकारी /कर्मचारीओं का टिकाकरण पूरा हुआ है यह सुनिश्चित हो सकता है ।

३) सभी प्रकार के आस्थापनाओं के रोज के काम के समय मास्क का सही प्रयोग तथा टिकाकरण की आपूर्ती करने हेतू, तथा इसपर नजर रखने हेतू संबंधित विभाग प्रमुख /कार्यालय के प्रमुख किसी आस्थापना अधिकारी या एक अधिकारी का नामांकन करेंगे ।

४) सभी कार्यालयों में तथा कार्यालय के क्षेत्र में आगंतुकों के साथ सभी लोगों के लिये मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया है इस हेतू आगंतुक व्यक्ती/कर्मचारी/अधिकारी इन्हे संबंधी आगंतुक व्यक्ती/कर्मचारी/अधिकारी जिस विभाग क्षेत्र में /क्षेत्र में बिनामास्क मिले तो उस कार्यालय के नामांकन किए हुए अधिकारी को (कार्यालय प्रमुख ने नामांकन किये हुए) जुर्माना करने का अधिकार होगा।

५) सक्षम प्राधिकारी विनामास्क आगंतुक व्यक्ती/कर्मचारी/अधिकारी से जुर्माना लेकर उसको उसकी रसीद देगा। सक्षम प्राधिकारी इस जुर्माने की रकम को संबंधी कार्यालय के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के पास जमा करेगा । तथा आहरण तथा संवितरण अधिकारी जुर्माने की रकम निम्न दिये हुए शीर्ष के अंदर जमा सांकेतांक में जमा करेगा।

हिंदी

राजस्व प्राप्ति
(सी) अन्य गैर-कर राजस्व
(१) सामान्य सेवा
००७०-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
८०० अन्य जमा रकम

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश के नुसार तथा इनके नाम

स्वाक्षरी/-१६.१०.२१
(सीताराम कुंटे)
प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र सरकार

प्रतिलिपी
१) मान. राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई
२) मान. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३) मान. उपमुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
४) मान. मंत्री (आरोग्य तथा कुटुंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई
५) मान. राज्यमंत्री (आरोग्य तथा कुटुंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई
६) प्रमुख सचिव, मंत्रालय, मुंबई
७) अप्पर प्रमुख सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई
८) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल,सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
९) प्रमुख सचिव के उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई
१०) सभी सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
११) प्रमुख सचिव के नीजी सहायक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२) सभी अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१३) आयुक्त (आरोग्य सेवा) व अभियान संचालक, एनएचएम, मुंबई
१४) धर्मदाय आयुक्त, एम्. एस्. मुंबई.
१५) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य विमा संस्था, वरली, मुंबई
१६) सभी विभागीय आयुक्त
१७) सभी जिलाधिकारी
१८) सभी महानगरपालिका आयुक्त
१९) सभी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
२०) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई/पुना
२१) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा

२२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सभी)
२३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सभी)
२४) जिला शल्य चिकित्सक (सभी)
२५) जिला आरोग्य अधिकारी (सभी)
२६) जिला मलेरिया अधिकारी (सभी)
२७) निवड नस्ती (आ-५).

Maharashtra Government
Public Health Department
G. T. Hospital Complex Building,
10th Floor, Mumbai-400 001
No. Corona-2021 /Pr.No.366/A-5,
Dated 26 October 2021

Reference:
1) The Epidemic Act, 1857
2) Disaster Management Act, 2005
3) Order of Public Health Department, Government Sr. No. Dated August 11, 2021

Government Order

Break the Chain - In all Government / Semi- Government and Private Industrial Establishments of the State, Regarding making the use of masks mandatory and completing Covid Preventive Vaccination immediately.

Such as, implementation of Epidemic Act, 1857 and the Disaster Management Act, 2005 is being done in the State.

Such as, since the number of patients is reduced, the restrictive measures implemented during the lockdown which was imposed due to the outbreak of Covid-19 are being lifted slowly to accelerate the economic activities. Therefore, due to crowd management, maintaining physical distancing, and public laxity and carelessness in using masks, the state had to face a strong wave of COVID-19.

As such, in order to avoid the possibility of the wave of Covid-19 recurring, following orders have been issued according to the powers given to the competent authorities, and the Chairman, State Administration Committee:

1) Officers/employees working in the State Ministries/Supporting Offices/Vidhan Bhawan and all Government/Semi-Government Offices and Private Establishments and all people visiting their offices for work, it is binding for their to use mask covering their nose and mouth completely.

2) The concerned Chief Officers of State Ministry/Semi-Government Offices and Private Establishments should get it confirmed that their employees / officers, have completed both doses of vaccination doses and they should collect their certificates of vaccination. If such employees have any problem in getting vaccination, they should contact the nearby vaccination centre or Public Health Department and should arrange special vaccination camp, so that vaccination of all officers and employees will be completed.

3) All types of office establishments should take care that use of mask is done properly and vaccination is completed, and should nominate an officer for supervision of this.

4) Since use of masks has been made mandatory for all the people in all the offices and in the office area along with the visitors, if anybody visitor /employee/officer is found without mask, the concerned nominated officer (nominated by the Office Head) of the department /area where the concerned visitor/employee/officer is found without mask, is authorised to fine such a person.

5) The Competent Authority will collect the fine from the visitor /employee/officer and give a receipt thereof. The Competent Authority shall deposit the amount of this fine with the Revenue Officer of the concerned office. And the concerned Revenue Officer shall put the amount of penalty under the head as under:

English

Revenue Receipt
(c) Other non-tax Revenue
(1) General service
0070-Other Administrative Services
800 Other Receipts

As per the order of the Governor of Maharashtra and in their name

Sd/-16.10.21
(Sitaram Kunte)
Chief Secretary,
Government of Maharashtra

Copy
1) Hon. Chief Secretary to the Governor, Raj Bhavan, Mumbai
2) Hon. Chief Secretary to Chief Minister, Mantralaya, Mumbai
3) Hon. Chief Secretary to Deputy Chief Minister, Mantralaya, Mumbai
4) Hon. Minister (Health and Family Welfare), Mantralaya, Mumbai
5) Hon. Minister of State (Health and Family Welfare), Mantralaya, Mumbai
6) Chief Secretary, Mantralaya, Mumbai
7) Additional Chief Secretary/Chief Secretary/Secretary, Mantralaya, Mumbai
8) Secretary, Maharashtra Vidhanmandal, Secretariat, Vidhan Bhavan, Mumbai
9) Deputy Secretary to the Chief Secretary, Mantralaya, Mumbai
10) All Assistant Secretaries/Deputy Secretaries, Department of Public Health, Mantralaya, Mumbai
11) Personal Assistant to the Chief Secretary, Department of Public Health, Mantralaya, Mumbai
12) All Under Secretaries/Divisional Officers, Department of Public Health, Mantralaya, Mumbai
13) Commissioner (Health Services) & Campaign Director, NHM, Mumbai
14) Endowment Commissioner, M. S. Mumbai.
15) Chief Executive Officer, State Health Insurance Society, Worli, Mumbai
16) All Divisional Commissioners
17) All District Collectors
18) All Municipal Commissioners
19) All Chief Executive Officers, Zilla Parishad
20) Director, Arogya Sewa Mumbai/Pune
21) Additional Director, Health Services
22) Joint-Director, Arogya Sewa (All)
23) Deputy Director, Health Services (All)
24) District Surgeon (All)
25) District Health Officers (All)
26) District Malaria Officers (All)
27) Nivad Nasti (A-5).